[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 23/2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून, 2017

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर की ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 17 मार्च, 2012 की सा.का. नि. सं0 185(अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं0 12/2012 सीमा शुल्क, में एतद द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं 333ई और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात्,:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"333एफ	7225	निम्नलिखित वस्तुए, अर्थात् i. हॉट रोल्ट कॉयल्स ; ii. कोल्ड-रोल्ड मैग्निसियम ऑक्साइड कोटिड और एन्नील्ड स्टील; iii. हॉट-रोल्ड एन्नील्ड और पीकल्ड कॉयल्स iv. कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड, टैरिफ मद 72251100 के अंतर्गत आने वाले कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील के उत्पादन के लिए	5% 5% 5% 5%	- - - -	5 5 5 5

[फा.सं. 354/99/2017-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 20/2017-सीमा शुल्क, तारीख 16 मई, 2017 सा.का.नि. 474(अ), तारीख 16 मई, 2017 द्वारा किया गया था ।